महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

शिक्षा मंत्रालय

(~~मानव संसाधन विकास मंत्रालय~~, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन–456006 (म.प्र.)

शिक्षा मंत्रालय

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(~~Ministry of HRD,~~ Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

प.सं. 17-3/2019 (प्र./वि.)/मसारावेविप्र/ दिनांक : 04.03.2022

कार्यालय आदेश -1102

विषय : वेदपाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों /छात्रों द्वारा धारित बैंकों के विलय होने पर नवीन बैंक खाता संख्या/ आई.एफ.एस.सी. कोड/ बैंक पासबुक प्रति प्रेषित करने के संबंध में ।

भारत सरकार द्वारा कई राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय किए जाने से बैंक के नाम, खाता संख्या, IFSC Code बदल गए हैं । इस कारण प्रतिष्ठान से अनुदानित वेदपाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में मासिक अनुदान भुगतान प्रक्रिया में वेदपाठशाला / इकाई अध्यापकों को मासिक अनुदान एवं अनुदानित छात्रों के अभिभावक संग संयुक्त बैंक खातें में छात्र स्वत: व्यय राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है । मासिक अनुदान प्रक्रिया के दौरान कई छात्रों के बैंक खातें में प्रेषित की गई छात्रस्वत: व्यय राशि छात्र के अभिभावक संग संयुक्त बैंक खातें का आधार कार्ड से संलग्न नहीं होने (KYC Update) नहीं होने से छात्रवृत्ति का भुगतान छात्र के बैंक खातें में नहीं हो रहा है ।

प्रतिष्ठान द्वारा नियमित रूप से वेबसाइट/ ईमेल /दूरभाष के माध्यम से वेदपाठशाला / इकाई अध्यापकों को निर्देशित करने के उपरांत भी यह ध्यान में आया है, कि कई वेदपाठशालाओं / इकाई अध्यापकों एवं अध्ययनरत छात्रों के बैंक खातें में निम्नानुसार कमियां पाई जा रही है ।

(1) पाठशाला / इकाई अध्यापक या अध्ययनरत वित्तपोषित छात्रों का बैंक पासबुक का आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है ।

(2) बैंक खातें का KYC Update नहीं किया गया है ।

(3) बैंक खातें में न्यूनतम राशि जमा नहीं होने से बैंक खाता निष्क्रिय (Deactive) हो गया है ।

(4) बैंक खातें में अधिकतम राशि जमा होने की सीमा निर्धारित होने से मानदेय / छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पा रहा है ।

(5) बैंक खातें में 3 माह में किसी भी प्रकार का Transaction (जमा/निकासी) नहीं होने के कारण बैंक खाता निष्क्रिय (Deactive) हो गया है ।

(6) पाठशाला / इकाई अध्यापक या अनुदानित छात्र में से किसी एक के भी बैंक खाता active /KYC अद्यतन नहीं होने पर प्रतिष्ठान द्वारा अनुदान प्रेषित करने पर भी बैंक द्वारा प्रतिष्ठान के बैंक खातें में पाठशाला /इकाई अध्यापक अनुदान एवं छात्रों की छात्रवृत्ति वापस कर दी जाती है। अत: इन मामलों को प्रत्येक अध्यापक सही से निरीक्षण कर तुरन्त पाठशाला / इकाई अध्यापक एवं छात्रों के बैंक खाते को active /KYC अद्यतन कर लें ।

(7) दिनांक 31 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2021-22 समाप्त होने के उपरांत दिनांक 1/4/2022 के उपरांत वेदपाठशाला /इकाइयों की वर्ष 2021-22 की देनदारियों (अनुदान) भुगतान नहीं किया जाएगा ।

निरन्तर....

दूरभाष (0734)2502266, 2502254, 2502255 **फैक्स** (0734-2502253)
E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in

4/3/2022

अतः समस्त वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों को पुनर्निर्देशित किया जाता है, कि पाठशाला / इकाई में अध्ययनरत समस्त छात्रों के बैंक खातें को, बैंक में संपर्क कर तुरन्त update कर updated bank passbook की प्रतिष्ठान को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर दूरभाष से तुरन्त सूचित करें। बैंक खाता अपडेट नहीं होने पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के समाप्त होने पर पाठशाला / इकाई का अनुदान जारी होने हो सकेगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी वेदपाठशाला / इकाई अध्यापक की रहेगी।

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल) 4/3/2022
सचिव

प्रतिलिपि : (1) सचिव के निजी सचिव, मसारावेविप्र

(2) समस्त वेदपाठशाला /गुरु-शिष्य परम्परा योजना इकाई अध्यापकों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।

(3) कार्यालय आदेश पत्रावली।